

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/आर-207/2023- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० मो० जमील अख्तर, सहायक प्राध्यापक, फार्माकोलॉजी विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा के अध्ययन अवधि एवं प्रभार रहित अवधि को निम्नवत् विनियमित किया जाता है :-

i.	दिनांक-11.03.2000 से 10.07.2000 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)
ii.	दिनांक-11.07.2000 से 12.07.2000 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में सिविल सर्जन कार्यालय, जमुई।
iii.	दिनांक-30.05.2004 से 30.05.2007 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
iv.	दिनांक-31.05.2007 से 09.09.2009 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)
v.	दिनांक-11.08.2015 से 28.08.2015 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर-207/2023- 789 [2] पटना, दिनांक 11 / 4 / 2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/प्राचार्य, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा/जिला कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० मो० जमील अख्तर, सहायक प्राध्यापक, फार्माकोलॉजी विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव
A